संख्या-11/2023/I/429523/2023/86-01099/153/2023

प्रेषक,

विजय कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2023

विषयः-ईट-भट्ठा सत्र 2023-24 में ईट-भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ईंट-भट्ठा सत्र 2023-24 के लिए उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-21(2) के अनुसार ईट-भट्ठा मालिकों से पायों के आधार पर विनियमन शुल्क(Regulating Fees) निम्नानुसार लिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) विनियमन शुल्क (Regulating Fees) ईट-भट्ठा सत्र (दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से 30 सितम्बर, 2024 तक) के लिए मान्य होगा ।

(2) गत् सत्र 2022-23 में देय विनियमन शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए ईट भट्ठा सत्र 2023-24 हेतु विनियमन शुल्क (Regulating Fees) विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी 'अ', 'ब', 'स') के जनपदों के लिए पायों की संख्या के आधार पर निर्धारित निम्नलिखित तालिका के अनुसार देय होगा :-

पायों की संख्या	श्रेणी 'अ' के जनपदों के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क (रू0 में)		श्रेणी 'ब' के जनपदों के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क (रू0 में)		श्रेणी 'स' के जनपदों के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क (रू0 में)	
	साधारण भट्ठे	जिग-जैग भट्ठे	साधारण भट्ठे	जिग-जैग भट्ठे	साधारण भट्ठे	जिग-जैग भट्ठे
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
10	-	1,78,200	-	1,45,800	-	1,13,400
11	-	1,91,160	-	1,58,760	-	1,26,360
12	-	2,04,120	-	1,71,720	-	1,39,320
13	-	2,17,080	-	1,84,680	-	1,52,280
14	-	2,30,040	-	1,97,640	-	1,65,240

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15	1,45,800	2,43,000	1,13,400	2,10,600	81,000	1,78,200
16	1,52,280	2,55,960	1,19,880	2,23,560	87,480	1,91,160
17	1,58,760	2,68,920	1,26,360	2,36,520	93,960	2,04,120
18	1,65,240	2,81,880	1,32,840	2,49,480	1,00,440	2,17,080
19	1,71,720	2,94,840	1,39,320	2,62,440	1,06,920	2,30,040
20	1,78,200	3,07,800	1,45,800	2,75,400	1,13,400	2,43,000
21	1,84,680	3,20,760	1,52,280	2,88,360	1,19,880	2,55,960
22	1,91,160	3,33,720	1,58,760	3,01,320	1,26,360	2,68,920
23	1,97,640	3,46,680	1,65,240	3,14,280	1,32,840	2,81,880
24	2,04,120	-	1,71,720	-	1,39,320	-
25	2,10,600	-	1,78,200	-	1,45,800	-
26	2,17,080	-	1,84,680	-	1,52,280	-
27	2,23,560	-	1,91,160	-	1,58,760	-
28	2,30,040	-	1,97,640	-	1,65,240	-
29	2,36,520	-	2,04,120	-	1,71,720	-
30	2,43,000	-	2,10,600	-	1,78,200	-
31	2,49,480	-	2,17,080	-	1,84,680	-
32	2,55,960	-	2,23,560	-	1,91,160	-
33	2,62,440	-	2,30,040	-	1,97,640	-
34	2,68,920	-	2,36,520	-	2,04,120	-
35	2,75,400	-	2,43,000	-	2,10,600	-
36	2,81,880	-	2,49,480	-	2,17,080	-
37	2,88,360	-	2,55,960	-	2,23,560	-
38	2,94,840	-	2,62,440	-	2,30,040	-
39	3,01,320	-	2,68,920	-	2,36,520	-
40	3,07,800	-	2,75,400	-	2,43,000	-
41	3,14,280	-	2,81,880	-	2,49,480	-
42	3,20,760	-	2,88,360	-	2,55,960	-
43	3,27,240	-	2,94,840	-	2,62,440	-
44	3,33,720	-	3,01,320	-	2,68,920	-
45	3,40,200	-	3,07,800	-	2,75,400	-
46	3,46,680	-	3,14,280	-	2,81,880	-
47	3,53,160	-	3,20,760	-	2,88,360	-

(3) ईंट-भट्ठा स्वामी को upmines.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ रू० 2000.00 का आवेदन शुल्क , ईंट भट्ठा स्वामी का विवरण, भट्ठा स्थल का Geo-cordinate सहित विवरण, भट्ठा का प्रकार (सामान्य/जिग-जैग), पायों की संख्या, ईट-मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण, भट्ठा-सत्र सहित वांछित विवरण फीड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करना होगा। ईंट-भट्ठा स्वामी को आवेदन-पत्र के साथ ईंट-भट्ठे के सम्बन्ध में रायल्टी/ विनियमन शुल्क बकाया न होने का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। फीड की गयी सूचना के अनुसार ईंट-भट्ठों के पायों की संख्या के आधार पर तथा विभिन्न जनपदों की श्रेणी के अनुसार उपरोक्त बिन्दु सं0-(2) की तालिका में उल्लिखित विनियमन शुल्क (Regulating Fees) एवं अधोलिखित बिन्दु संख्या-(5) में उल्लिखित पलोथन की धनराशि अग्रिम रूप से पोर्टल पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से ऑनलाईन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखा शीर्षक "0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102- खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क" में जमा की जायेगी। विनियमन शुल्क आनलाइन जमा करने पर ईंट-भट्ठा स्वामी "विनियमन शुल्क जमा का प्रमाण पत्र" पोर्टल से जनित कर सकेंगे ।

(4) ईंट-भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क (Regulating Fees) अग्रिम रूप से जमा किये जाने के उपरान्त ही ईंट भट्ठे का संचालन किया जायेगा। विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना संचालित ईंट भट्ठों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(5) ईंट-मिट्टी के लिए देय विनियमन शुल्क की धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि ईंट बनाने के काम आनेवाली पलोथन मिट्टी (बलुई मिट्टी) के लिए ईंट-भट्ठा स्वामियों द्वारा जमा किया जाना होगा।

(6) दिनांक 30.11.2023 तक जमा की गयी विनियमन शुल्क (Regulating Fees) की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।

(7) यदि किसी ईंट-भट्ठे में पायों की संख्या ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में घोषित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है तो ऐसे ईंट-भट्ठों के वास्तविक पायों की संख्या के आधार पर नियमानुसार राजस्व क्षति वसूल की जायेगी।

(8) यदि किसी ईंट भट्ठा के पायों की संख्या अथवा स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो संबंधित ईट-भट्ठा स्वामी द्वारा तत्सम्बन्धी सूचना 30 दिन के अन्दर संबंधित जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक सहित भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

(9) जनपद में तैनात भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा स्थलीय जांचोपरान्त जनपद में कार्यरत ईंट भट्ठों का पूर्ण विवरण संलग्न प्रारूप-1 पर सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (खनिज) द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से जनपद में कार्यरत ईट भट्ठों के स्थलीय निरीक्षण के आधार पर संलग्न प्रारूप-2 पर सूचना प्राप्त कर संकलित सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रारूप- 1 व 2 पर प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा ईट भट्ठों के पायों की संख्या के आधार पर देय विनियमन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शुल्क, पलोथन मिट्टी (बलुई मिट्टी) पर देय धनराशि (देय विनियमन शुल्क की धनराशि का 10 प्रतिशत) तथा आवदेन शुल्क की धनराशि जमा कराने की स्थिति का पाक्षिक अनुश्रवण किया जायेगा ।

(10) ईंट भट्ठा स्वामियों पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-3, 21(2), 42(ङ) एवं 59(2) के प्राविधान लागू होंगे।

(11) उक्त व्यवस्था मा० न्यायालयों, मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अधीन होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विजय कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. मा0 वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1074/एम0-ईट-भट्ठा/2023-24, दिनांक 27.09.2023 एवं पत्र संख्या-1226/एम0-ईट-भट्ठा/2021-22, दिनांक 31.10.2023 के सन्दर्भ में।
5. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक–1

प्रदेश में कार्यरत ईंट भट्ठों की क्षेत्रीय उत्पादन क्षमता के आधार पर विनियमन शुल्क की वसूली हेतु प्रदेश के जनपदों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों मे विभक्त किया गया है:–

श्रेणी "अ"		श्रेणी "ब"		श्रेणी "स"	
क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम
1	बागपत	1	उन्नाव	1	गोरखपुर
2	सहारनपुर	2	रायबरेली	2	देवरिया
3	मेरठ	3	सीतापुर	3	बस्ती
4	मुजफ्फरनगर	4	हरदोई	4	आजमगढ़
5	बुलन्दशहर	5	लखीमपुर	5	गोण्डा
6	हाथरस	6	उरई (जालौन)	6	बहराइच
7	आगरा	7	झॉसी	7	जौनपुर
8	अलीगढ़	8	ललितपुर	8	बलिया
9	एटा	9	फर्रूखाबाद	9	गाजीपुर
10	गाजियाबाद	10	बाराबंकी	10	फैजाबाद
11	मैनपुरी	11	प्रयागराज	11	सुल्तानपुर
12	मथुरा	12	वाराणसी	12	प्रतापगढ़
13	बरेली	13	फतेहपुर	13	मिर्जापुर
14	जे0पी0 नगर (अमरोहा)	14	भदोही (संत रविदासनगर)	14	हमीरपुर
15	बदायूँ	15	चन्दौली	15	बॉदा
16	मुरादाबाद	16	कौशाम्बी	16	मऊ
17	शाहजहॉपुर	17	कन्नौज	17	कुशीनगर
18	पीलीभीत	18	अमेठी	18	अम्बेडकर नगर
19	रामपुर			19	महोबा
20	इटावा			20	सिद्धार्थनगर
21	लखनऊ			21	महराजगंज
22	कानपुर नगर			22	सोनभद्र
23	औरैया			23	बलरामपुर
24	फिरोज़ाबाद			24	चित्रकूट
25	गौतमबुद्ध नगर			25	संत कबीरनगर
26	बिजनौर			26	श्रावस्ती
27	कानपुर देहात				
28	कासगंज				
29	हापुड़				
30	शामली				
31	सम्भल				

प्रारूप—1

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,

खनिज भवन, लखनऊ।

जनपद में कार्यरत ईट—भट्ठों का विवरण

जनपद का नाम—

क्र0 सं0	ईट भट्ठा स्वामी का नाम व पता	ईट भट्ठा का प्रकार (साधारण अथवा जिग—जैग)	पायों की संख्या	ईट भट्ठा स्थल का विवरण					ईट मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण					चालू वर्ष	विभिन्न भट्ठा वर्षों (अक्टूबर से सितम्बर) में देय/जमा धनराशियों का विवरण							अभ्युक्ति
				तहसील	थाना	ग्राम	आ0 सं0	Geo_ Co-ordinates.	तहसील	थाना	ग्राम	आ0 सं0	क्षेत्रफल (एकड़)		भट्ठा वर्ष	आवेदन शुल्क		विनियमन शुल्क (Regulating fees)		पलोथन मिट्टी (बलुई मिट्टी) हेतु देय/जमा धनराशि		
																देय धनराशि	जमा धनराशि	देय धनराशि	जमा धनराशि	देय धनराशि	जमा धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक,

का

हस्ताक्षर

प्रारूप–2

सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रस्तुत जॉच आख्या के आधार पर जनपद में कार्यरत ईट–भट्ठों का विवरण

जनपद का नाम–

क्र0 सं0	ईट भट्ठा स्वामी का नाम व पता	ईट भट्ठा का प्रकार (साधारण अथवा जिग–जैग)	पायों की संख्या	ईट भट्ठा स्थल का विवरण					ईट मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण					चालू वर्ष	विभिन्न भट्ठा वर्षों (अक्टूबर से सितम्बर) में देय/जमा धनराशियों का विवरण								अभ्युक्ति
				तहसील	थाना	ग्राम	आ0 सं0	Geo Co-ordinates	तहसील	थाना	ग्राम	आ0 सं0	क्षेत्रफल (एकड़)		भट्ठा वर्ष	आवेदन शुल्क		विनियमन शुल्क (Regulating fees)		पलोथन मिट्टी (वलुई मिट्टी) हेतु देय/जमा धनराशि			
																देय धनराशि	जमा धनराशि	देय धनराशि	जमा धनराशि	देय धनराशि	जमा धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

सलंग्नक– सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण आख्या।

अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (खनिज)
का
हस्ताक्षर